SHRI DHIRENDRANATH BASU: May I know from the hon. Minister whether the project of electrification and doubling of the line from Katwar to Bandel has been included in the Budget proposal.....

MR. SPEAKER: It does not arise out of this. We are only on Bongaon-Sealdah. We pass on to the next Question.

श्रीमती चन्द्रावती : मैं एक बात जनाब की नोटस में ले आना चाहती हूं कि हमारे सवाल यहां नहीं आते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि कौन मेम्बर कितने सवाल भेजते हैं और उनके कितने सवाल यहां आते हैं। इसमें बहुत बंगलिंग होती है—मैं इसके बारे में जानना चाहती हूं.... (व्यवधान).... सप्लीमेंट्री के लिए भी हमको मौका नहीं मिलता है। मैं एक बहुत गम्भीर सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। हमने एक शेसन में कितने सवाल भेजे हैं और जिन लोगों के सवाल रोज यहां आते हैं, उन्होंने कितने भेजे हैं? हम जानना चाहते हैं कि आप का सैक्रेटेरियट इसमें कितनी बंगलिंग करता है .....

MR. SPEAKER: Every Member will be treated alike.

श्रीमती चन्द्रावती : हम इसके बारे में एशोरेंस चाहेंगे।

MR. SPEAKER: Every Member will be treated equally.

Import of Obsolete Drugs

+

*5. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI D. D. DESAI:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have seen reports published in the press that large quantities of drugs had been imported which have already become obsolete and are not fit to be used;

(b) the quantity and other details of the drugs so imported; and

(c) what action has been taken by Government in this regard?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :(क) जी, हां। तथापि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जो आयातित और स्वदेशी औषधों के गुण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, द्वारा जांच करने से यह पता लगा है कि प्रैस रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

डा० मरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, आयातित दवाइयां, रिप्लेनिशमेंट एन्टाइटलमेंट स्कीम के अन्तर्गत जो लाइसेंस दिए गए है, उनके तहत आयात की गई है और ये लाइसेंस कपड़ा बेचने वालों से लेकर आचार-मुरब्बा निर्यात करने वालों को दिए गए थे ताकि वे वहां से दवाइयां आयात कर सकें। इन दवाइयों के आयात करने में मल्टी नेशनल कम्पनीज ने बहुत बड़ी मात्रा में छूट दी है, डिस्काउन्ट दी है, इसलिए कि वे दवाइयां सब-स्टेंडर्ड की थी और डब्लू०एच० ओ० की निर्धारित जीवन-रेखा के अनुसार तीन वर्ष समाप्त होने के दो-तीन महीने पहले आयात की गई, ताकि वे कानूनी शिकन्जे से बच जायें और उनकी लाइफ समाप्त होने की जो सीमा है, उससे पहले यहां पहुंच जायें और यहां पहुंचने के बाद उन की पोटेंसी जीरो हो जाये। यदि यह सही है तो.....

MR. SPEAKER: Please come to the question.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I am asking the question, Sir. It is

divided into parts because it is a very important question...

MR. SPEAKER: Every question is important.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Every question is important, Sir, but this is very important क्या ये दवाइयां वही हैं जो छापामार कर दुकानों से मिली हैं और जो स्पुरियस हैं ? क्या यह सच है ? क्या यह भी सच नहीं है कि ये दवाइयां विदेशों से पूरी छूट दे कर यहां भेजी गईं और उन लाइसेंस धारियों के द्वारा भेजी गईं जो यहां पर कपड़े और आचार-मुरब्बे के आयात का काम करते थे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : विदेशों से बल्क ड्रग्स तीन तरह से मंगाई जाती हैं। एम.टी.सी० द्वारा, 'रेप' लाइसेंसधारियों द्वारा, जिनका माननीय सदस्य ने जिक्र किया और तीसरे औषधि निर्माताओं द्वारा व्यक्तिगत तौर पर सीधे सीधे। हम लोगों ने जब यह रिपोर्ट अखबार में आई तो अपनी एजेंसियों से इसकी जांच कराई। ड्रग कंट्रोलर, मुख्य रूप से, यह निश्चित करता है कि दवाइयां कैसी हैं। सरकार के पास जो रिपोर्ट उसकी एजेंसियों से आई उसके अनुसार 1977 में कोई दवाई ऐसी नहीं आई जिसकी मियाद तीन साल से कम हो।

डा० मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन्, मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मेरे प्रश्न के केवल पहले भाग का ही उत्तर दिया गया है।

MR. SPEAKER: Your question was so long that nobody can answer it. it.

डा० मुरली मनोहर जोशी : मेरा बेसिक क्वेश्चन यह है कि मल्टी नेशनल कम्पनीज ने भारी पैमाने पर डिस्काऊंट दे कर जो दवाएं यहां भेजी, वे क्यों भेजी ? क्या उन्होंने वे दवाएं यहां के गरीबों पर दया करके भेजी ? That Part of my question remains unanswered.

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, किसी समय माननीय सदस्य, हमारे अध्यापक रहे हैं और इनके सवाल पूछने की टेक्नीक मैं जानता हूं।

भारतीय व्यापार में एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने के लिए 'रेप' लाइसेंसधारियों को यह इजाजत दी गयी थी कि वे अपने एक्सपोर्ट के बदले में कुछ आयात दवाओं का भी कर सकते हैं। इसमें इस बात का खतरा या शक जरूर होता था कि कुछ नकली दवाएं आ रही हैं। लेकिन जब ड्रग कंट्रोलर से जांच करायी गयी तो यह पाया गया कि यह बात बेबुनियाद है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : जो कमीशन दी गयी, वह किस लिए दी गयी ? Heavy discount was given by multinationals in regard to this replenishment entitlement scheme.

MR. SPEAKER: If the Hon. Minister is evading the question, you are responsible for giving him scope to do so.

डा० मुरली मनोहर जोशी : इस आधार पर, जब सरकार की निगाह में यह बात आयी और उसके पास रिपोर्ट भी आयी कि रिप्लेनिशमेंट स्कीम के अधीन जो दवाएं आयात होती हैं उनमें नकली दवाएं आने की संभावना हैं और खतरा भी है तो क्या इन लाइसेंसधारियों को इन लाइसेंस के अधीन सरकार दवाएं मंगाने से मना करेगी ?

बहुत बार यहां यह चीज़ उठाई गई है कि नकली दवाइयां जो बन रही हैं उन से देश को बड़ा भारी नुक्सान हो रहा है। सरकार पूरे तौर पर औषधि निर्माण की नीति पर विचार करते हुए इन विदेशी दवाओं का सम्पूर्ण आयात बन्द करेगी ?

श्री जनेश्वर मिश्र : सितम्बर, 1977 से नियंत्रण लगा दिया गया है। अब केवल

वही पार्टियां बल्क ड्रग्ज मंगा सकती हैं जो यहां से दवाये भेजती हैं ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : दवाओं का पूरा आयात बन्द आप करेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती : इम्पोर्ट लाइसेंस देते वक्त क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस को लाइसेंस दिया जाए वह ड्रगिस्ट या कैमिस्ट हो ? क्या इसकी कुछ क्वालिफिकेशंज भी रखी गई हैं ?

श्री जनेश्वर मिश्र : हां, इसका ख्याल रखा जाता है ।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या आप इसकी जांच कराएंगे कि ऐसे लोगों को भी दिए गए हैं जिन में ये वालिफिकेशंज नहीं थीं ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अगर माननीय सदस्या कोई स्पेसेफिक केस बताएंगी तो जरूर जांच कराई जाएगी ।

श्रीमती चन्द्रावती : हम थोड़े ही बताएंगे? आपके पास सरकार है । आप पता लगाएं ।

SHRI VINODBHAI B. SHETH: In view of the poor performance of the drug industry with regard to making available cheap drugs to the poor people, will the Government think in terms of nationalisation of the entire drug industry for the welfare of the poor persons?

श्री जनेश्वर मिश्र : हाथी कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री हुकम देव नारायण यादव : औषधियों में मिलावट की जो बीमारी है उस ने देश में गम्भीर रूप धारण कर लिया है । एक आदमी अगर किसी को जान से मार डालता है तो उसको फांसी या आजीवन कारावास की सजा होती है । मिलावटी दवाओं से सैकड़ों लोगों की जान जाती हैं । यह बीमारी तब तक नहीं रुक सकती है जब तक कड़ा कानून नहीं बनाया जाता है । क्या सरकार भारतीय दंड विधान में संशोधन करके या कोई कानून बना कर ऐसी व्यवस्था करेगी कि दवाओं में जो मिलावट करेगा या मिलावट जिस के यहां पाई जाएगी उन लोगों को आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा दी जायेगी ?

MR. SPEAKER: It is a good suggestion for action.

श्री जनेश्वर मिश्र : माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है । इसे ला मिनिस्ट्री को रेफर कर दिया जाएगा ।

श्री किशोर लाल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कैमिकल फार्मूले जो आई० डी० पी० एल० बनाता है उन में से कोई दो ढाई सौ फारेन कम्पनियों को दिए गये हैं ?

श्री जनेश्वर मिश्र : इसके लिए मुझे अलग से नोटिस चाहिये ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम को सरल बनाना

*6. **श्री अघन सिंह ठाकुर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य मंडल, कलकत्ता ने कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम को सरल और युक्ति संगत बनाने के बारे में कोई सुझाव दिये हैं ; और